तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सलोचना Vs शंकरलाल 121/ ... /22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/24	पत्रावली पेश। हमने वकील पक्षकारान् द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खसरा संख्या 3078/1267 वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में अंकित है, कि प्रार्थीया पत्थरगढी करवाना चाहती हैं। प्रकरण में अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा जबाव पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। अप्रार्थी 1 व 2 ने कोई सीमा विवाद नहीं होना अंकित किया है। प्रार्थीया द्वारा, जिस भूमि की पत्थरगढी चाही गई है उस भूमि का राजस्व मानचित्र पेश नहीं किया है जिससे ये स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा विवादित भूमि के समीप स्थित खातेदारों जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनते उनको पक्षकार बनाया गया हो। साथ ही प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि सीमा विवाद होना प्रमाणित हो। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं करने से पक्षकारों का कुसंयोजन हुआ है। समीप के काश्तकारों को सुने बिना यदि निर्णय पारित किया जाता है तो अनावश्यक वाद बाहुलता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रही है। प्रकरण उपरोक्त तथ्यों से खारिज योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया पक्षकारों का कुसंयोजन होने/साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	